संख्या-319/2018/2532/22-2-2017-17(05)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान पुत्र श्री फुल्ली, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35006/प्रोबे0-5-दयायाचिका/873 दिनांक 25.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान पुत्र श्री फुल्ली, जो सींगपुर, थाना-सिढ़पुरा, जनपद-एटा वर्तमान पता-पपरी, थाना- कायमगंज, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने पार्टी बन्दी में दिनांक 14.08.1978 को प्रात: लगभग 06:30 बजे 04 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर देशी तमंचा, रिवाल्वर, लाठी, बन्दूक से हमला कर गाय का मल्ल घूरे पर फेंकने जा रहे रामनरायन की हत्या की। उक्त अपराध बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-736/78 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,तृतीय,एटा के आदेश दिनांक 06.02.1981 द्वारा आजीवन कारवास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.09.2004 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2017 तक 15 वर्ष 03 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति,जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की गयी आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी चन्द्रभान बन्दी संख्या-18402) पुत्र श्री फुल्ली, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-319/2018/2532(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in